

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

न
अ
उ

16/3/21

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी आविष्कता अनु०/ गल
पेशी दिनांक 17/2/21 में भी अनु०/ प्रार्थी द्वारा
प्रा पत्र धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु दिनांक
23.11.2016 को पेश किया गया। पत्रावली के
अवलोकन से स्पष्ट होता है की 212 के त्वरित
उपचार हेतु प्रार्थी द्वारा कोर्ट परवी नवी की गई।
प्रार्थी की ओर से आज भी कोर्ट उपस्थित नहीं
अतः प्रार्थी का प्रा पत्र 212 अस्थाई निषेधाज्ञा
का अयम परवी अयम दायरी में खारिज किया
जाता है। पत्रावली फाइल नुमांदा होकर नम्बर
एक में कम होकर नवी मूल पत्रावली हो।



